बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

राज्य के विभिन्न काराओं में संविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के नियोजन हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू का कार्यक्रम

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के अंतर्गत राज्य की काराओं में चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) को संविदा के आधार पर नियोजन करने हेतु कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना में वॉक–इन–इन्टरव्यू का कार्यक्रम दिनांक–01.04.2024 से 03.04.2024 तक आयोजित किया गया है। उक्त वॉक–इन–इन्टरव्यू में सम्मिलित होने हेतु चिकित्सक (विशेषज्ञ एवं सामान्य) अभ्यर्थियों को विभागीय वेबसाईट- https://eprisons.bihar.gov.in/mis/RecruitmentDr2024/DrRec_Instruction.aspx पर सभी वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि (Online आवेदन) उपलब्ध विहित प्रपत्र में अथवा ऑफलाईन आवेदन (विहित प्रपत्र को डाउनलोड कर) करने हेतु (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से) दिनांक–11.03.2024 तक की तिथि निर्धारित किया जाता है।

2. ऑफलाईन आवेदन कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक–11.03.2024 तक स्वीकार किये जाऐंगे।

3. चिकित्सक अभ्यर्थियों के नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार समूह तथा वॉक–इन–इन्टरव्यू की तिथि निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

क्र0	चिकित्सक अभ्यर्थियों के नाम का प्रथम अक्षर के अनुसार समूह (Name Start With)	वॉक–इन–इन्टरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
1	A से F तक	01.04.2024
2	G से P तक	02.04.2024
3	Q से Z तक	03.04.2024

4. वॉक–इन–इन्टरव्यू में चिकित्सक अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छायाप्रतियों की एक स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा :–

(i) सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(ii) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।

(iii) बिहार राज्य की नौकरियों के निमित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।

(iv) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत EWS प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)।

(v) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।

(vii) पासपोर्ट आकार का 02 (दो) फोटोग्राफ।

(viii) एक फोटो युक्त पहचान पत्र (यथा–आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।

(ix) बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थाई निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(x) सभी अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ इस आशय का 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन्डेमनिटी बांड (Indemnity Bond) संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमति नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

(xi) आवेदक आवेदन पत्र भरते समय प्राथमिकता के क्रम में इच्छा–क्रमानुसार तीन काराओं/जिला (गृह जिला को छोड़कर) का नाम देंगे। इच्छित तीन काराओं/जिलों में रिक्ति अवशेष नहीं रहने की स्थिति में विभाग अन्य जिला में पदस्थापन हेतु स्वतंत्र होगा।

5. वॉक–इन–इन्टरव्यू में चिकित्सक अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देशः–

(i) इस नियोजन में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

(ii) इस इन्टरव्यू में शामिल होने हेतु कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

6. रिक्ति की विवरणी, अर्हता तथा मानदेय निम्न् प्रकार हैः–

(i). संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सक, कुल पदः–13

पदनाम	मानदेय	पदों की कोटिवार विवरणी									
		गैर आर0	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 व0	पि0व0	कुल	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती नाती/नतीनी के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण	दिव्यांग हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सक	रु82,000/–	00	01	04	00	05	03	13	01	00	एम0बी0 बी0एस0 एवं एम0डी0/ एम0एस0 तथा बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन
	35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	00	00	00	00	00	00	00			

(ii). संविदा आधारित सामान्य चिकित्सक, कुल पदः–62

पदनाम	मानदेय	पदों की कोटिवार विवरणी									
		गैर आर0	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 व0	पि0 व0	कुल	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती नाती/नतीनी के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण	दिव्यांग हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
संविदा आधारित सामान्य चिकित्सक	रु65,000/–	04	05	20	02	23	08	62	01	दृष्टि–01 चलन–00 मूकब0–01 मनों–00	एम0बी0 बी0एस0 तथा बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन
	35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	01	02	05	00	07	03	19		कुल–02	

7. अन्य शर्तेः–

(i) नियोजन 11 माह के लिए किया जायेगा पुनः सेवा संतोषजनक होने पर नियमानुसार संविदा विस्तार किया जा सकेगा।

(ii) नियोजन हेतु पात्रता की अधिकतम आयु–सीमा 65 वर्ष होगी।

(iii) रिक्ति की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(iv) इस संबंध में विस्तृत जानकारी गृह विभाग (कारा) के वेबसाईट-https://eprisons.bihar.gov.in/mis/RecruitmentDr2024/DrRec_Instruction.aspx पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

ह0/–

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)
गृह विभाग (कारा)
बिहार, पटना।

d:\neeraj sir\praroop\advertisement\doctor interview 2024\doc. interview-2024.docx